रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-आर.जे.-अ.-27012020-215705 CG-RJ-E-27012020-215705

> असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 38] No. 38] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2020/माघ 4, 1941 NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2020/MAGHA 4, 1941

राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

जोधपुर, 23 सितम्बर, 2019

आरएमजीबी / एस.आर. संशोधन / 79 / 2019.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक का निदेशक मण्डल, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जो कि प्रायोजक बैक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से, एतद्द्वारा राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते है, नामतः :—

- 1. (1) इन विनियमों को राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2019 कहा जायेगा।
 - (2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 (जिसे इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में खण्ड (छ) के लिए उप–विनियम (1) में निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-
 - (छ) "सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य है :
 - (i) स्केल-III, IV और V के अधिकारी के संबंध में अध्यक्ष ;

454 GI/2020 (1)

- (ii) स्केल-I और II के अधिकारी के संबंध में महाप्रबंधक ; और
- (iii) समूह "ख" कार्यालय सहायक (बहुप्रयोजन) और समूह "ग" कार्यालय परिचारक (बहुप्रयोजन) जैसे कर्मचारियों के संबंध में निदेशक मण्डल द्वारा यथा निर्धारित अधिकारी जो स्केल-IV के स्तर से कम न हो।
- उक्त विनियम के लिए विनियम 50 में खण्ड (i) और (ii) के लिए निम्नलिखित खण्डों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-
 - (i) निदेशक मण्डल, जहां अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी है ;
 - (ii) अध्यक्ष, जहां महाप्रबंधक सक्षम प्राधिकारी है ; और
 - (iii) महाप्रबंधक, जहां सक्षम प्राधिकारी का निर्णय विनियम 2 के उप विनियम (1) के खण्ड (छ) के उप—खण्ड (iii) के अन्तर्गत निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है।

ज्ञानेन्द्र कुमार जैन, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./418/19]

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में संख्याक 326 तारीख 15.12.2010 के द्वारा प्रकाशित की गई थी, तत्पश्चात अधिसूचना संख्या 21 तारीख 24.05.2014 एवं अधिसूचना संख्या 43 तारीख 25.10.2014 के द्वारा समामेलन के फलस्वरूप पुनः नामकृत किया गया तथा अधिसूचना संख्या 527 तारीख 21 दिसम्बर 2018 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया।

RAJASTHAN MARUDHARA GRAMIN BANK (HEAD OFFICE) NOTIFICATION

Jodhpur, the 23rd September, 2019

- **No. RMGB/SR Amendment/79/2019.**—in exercise of powers conferred by section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Board of Directors of Rajasthan Marudhara Gramin Bank after consultation with State Bank of India being the Sponsor bank and the National Bank for Agriculture and Rural Development and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Rajasthan Marudhara Gramin Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010, namely:—
 - 1. (1) These regulations may be called Rajasthan Marudhara Gramin Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In regulation 2 of the Rajasthan Marudhara Gramin bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2014 (hereinafter referred to as the said regulations) in sub-regulation (1), for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-
 - (g) "competent Authority" means,-
 - "(i) the Chairman in respect of Officer Scale-III, IV and V;
 - (ii) the General Manager in respect of Officer Scale-I and II; and
 - (iii) an Officer not below the rank of Scale-IV in respect of employees relating to Group 'B' Office Assistant (Multipurpose) and Group 'C' Office Attendant (Multipurpose) as decided by the Board";
- 3. In regulation 50 of the said regulations, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely:—
 - "(i) the Board, where the Chairman is Competent Authority;

- (ii) the Chairman, where the General Manager is Competent Authority; and
- (iii) the General Manager, where the Competent Authority is decided by the Board under sub-clause (iii) of clause (g) of sub-regulation (1) of regulation 2."

GYANENDRA KUMAR JAIN, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./418/19]

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4 vide Notification No. 326 dated 15.12.2010 consequent upon amalgamation renamed vide Notification No. 21 dated 24.05.2014 and Notification No. 43 dated 25.10.2019 and subsequently amended vide Notification No. 527 dated 21.12.2018.